किसानों के समर्थन में एकजुटता की कार्रवाई के लिए श्रमिक संगठनों का आह्वान!

किसान विरोधी तीन कानूनों को वापस लें,
किसानों और श्रमिकों पर कंपनी राज का विरोध करें,
मज़दूर किसान एकता ज़िंदाबाद!

हम श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, भारत में किसानों के ऐतिहासिक आन्दोलन और विरोध के साथ एकजुटता से खड़े हैं और उनकी मांगों के लिए अपना पूरा समर्थन देते हैं। हम सरकार से किसानों की मांगों को स्वीकार करने की अपील करते हैं।

किसानों की अभूतपूर्व एकता, संघर्ष के दृढ़ संकल्प और लड़ने के जज्बे ने पूरे देश में सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। सत्ताधारी दल और सरकार के एक वर्ग की कोशिश है कि जो लोग देश के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें आतंकवादी और विरोधी के रूप में दिखाया जाये। सरकार के अपने अनुयायियों के अलावा कोई भी उनका समर्थन नहीं करता है। जब इतनी बड़ी संख्या में किसान जो देश कि खाद्यान उत्पादक हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं तो हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि देश के लोग उनकी चिंताओं को सुनें और उनकी उचित मांगों का समर्थन करें।

5 जून, 2020 को, COVID -19 महामारी के प्रसार के बीच, भारत सरकार ने जल्द ही तीन अध्यादेशों को पारित किया:

1. किसान व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020
2. किसानों (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता पर मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

सितंबर 2020 तक, इन अध्यादेशों को पर्याप्त संसदीय चर्चा या किसान प्रतिनिधि के साथ किसी भी बातचीत और उनके जीवन पर संभावित नतीजों के बिना कानून में बनाया गया था। सरकार के कानून और पूरी खेत नीति खेती के सभी पहलुओं पर बड़े कॉर्पोरेट नियंत्रण को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, विशेष रूप से कम कीमत पर बड़े कॉर्पोरेटों द्वारा कृषि उपज खरीदने की अनुमति देने के लिए। किसान तीनों विधेयकों के बिना शर्त वापस मांग रहे हैं।
सरकार अपनी मांगों के साथ उलझाने के बजाय किसानों के साथ वसीयत की लड़ाई में शामिल होना पसंद करती है। दूसरी ओर वे किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं।

आंदोलन मजबूत बना हुआ है, और इसने समाज के सभी क्षेत्रों में चेतना को प्रेरित और जागृत किया है। बड़ी संख्या में सीमांत किसान भी अनौपचारिक श्रमिक हैं। ग्रामीण

गरीब काम की तलाश में अपने घरों से दूर की जगहों की यात्रा करते हैं अपने परिवार को घर वापस लाने में सहयोग करें। हमने देखा कि हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिक जब राजमार्गों पर ले गए, तो COVID लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में सैकड़ों मील वापस चल रहे थे, जब वे आय और आश्रय के बिना फंसे हुए थे। अनौपचारिक क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक भी गहरे कृषि संकट के शिकार हैं। नौकरियों, या भूमि और सभ्य आजीविका तक पहुंच के बिना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को काम और आय की तलाश में अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जिन शहरों में वे जाते हैं, उनमें से कई मुश्किल से न्यूनतम मजदूरी कमा रहे हैं, उनके पास रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है और वे श्रम कानूनों के संरक्षण से वंचित हैं।

कृषि संकट और किसानों के अस्तित्व के लिए संघर्ष हमारी लड़ाई भी है!!
मजदूरों और किसानों को एक साथ खड़ा होना होगा!

सरकार ने हाल ही में 'श्रम कानूनों में सुधार' के लिए चार श्रम कोड पारित किए हैं। इन सुधारों का एक प्रमुख वादा 40 करोड़ से अधिक अनौपचारिक श्रमिकों को शामिल करना था, जिन्हें आज तक सभी सरकारों द्वारा अनदेखा किया गया था। हालांकि अनौपचारिक श्रमिकों को आशाएं दी गई थीं, उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि उन्होंने भ्रम सुधार की आड़ में एक बार फिर धोखा दिया है, और फिर से 'बाजार' की दया पर छोड़ दिया है।

खेत कानूनों के बिल बड़े निगमों द्वारा खेत और श्रम बाजार पर अधिक नियंत्रण का नेतृत्व करते हैं। किसानों और श्रमिकों के जीवन पर इस तरह के नियंत्रण से कमोडिटी की कीमतों, वित्तीय संरचना, मजदूरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। किसान और श्रमिक उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं। इस तरह के नियंत्रण से कुछ निगमों के हाथों में तानाशाही शक्तियां आ जाएंगी, जिससे अधिकांश किसानों और श्रमिकों को अकल्पनीय संकट में छोड़ दिया जाएगा।

इस ऐतिहासिक मोड़ पर, हम सभी श्रमिक संगठनों से कहते हैं - **चाहे अनौपचारिक क्षेत्र या औपचारिक क्षेत्र में, तीन कानूनों को वापस लेने की मांग के समर्थन में, किसानों के विरोध में शामिल होने के लिए 'अखिल भारतीय कामगार संघर्ष समन्वय समूह (AIWSCG)' में शामिल हों।**

हम, अखिल भारतीय कामगार संघर्ष समन्वय समूह (AIWSCG) के हिस्से के रूप में, **एकमत से किसान आंदोलन में शामिल होने का संकल्प लेते हैं, और तीन किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं।**

हम **आगे मांग करते हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अनौपचारिक श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और मजदूरी के समय पर भुगतान की गारंटी दी जानी चाहिए।**

Names of organisations and networks in alphabetical order :

4. Asangathit Kaamgaar Adhikar Manch (AKAM),
5. Assam Mazdoor Union (AMU)
6. Asangathit Shramik Samajik Suraksha Manch (ASSSM)
7. Aravali Nirman Majdoor Suraksha Sangh (ANMSS)
8. Andhra Pradesh Domestic Workers Federation (APDWF)
9. Confederation of Free Trade Union (CFTUI)
10. Campaign against Camp Coolie System (CACCS)
11. Delhi Shramik Sangathan (DSS)
12. Dihari Mazdoor Sangathan (DMS)
13. GRAKOOS
14. Gruhakarmikula Union Telangana State (GUTS)
15. Hawkers Joint Action Committee (HJAC)
16. Hamal Panchayat
17. Indian Federation of App Based Transport Workers (IFAT)
18. KOOGU
19. Karkhana Shramik Suraksha Sangh (KSSS)
20. Kamgaar Ekta Union (KEU)
21. Lal Jhanda Punjab Bhatta Labour Union (LJPBLU)
22. Maharashtra Nirman Mazdoor Sangathan (MNMS)
23. Maharashtra Rajya Hamal Mapadi Mahamandal (MRHMM)
24. Maharashtra Kashtakari Sangharsh Mahasangh (MKSM)
25. Majoor Adhikar Manch (MAM)
26. Manrega Mazdoor Union (MMU)
27. New Trade Union Initiative (NTUI)
28. National Centre for Labour (NCL)
29. National Hawkers Federation (NHF)
30. National Domestic Workers Movement (NDWM)
31. National Campaign Committee on Central Legislation for Construction Workers (NCC-CCW)
32. National Solidarity Committee of Brick Kiln Workers (NSCBKW)
33. National Campaign Committee for Eradication of Bonded Labour (NCCEBL)
34. National Workers Movement (NWM)
35. National Association of Street Vendors of India (NASVI)

36. National Campaign Committee for Rural Workers (NCCRW)
37. Patthar Gadhai Shramik Suraksha Sangh (PGSSS)
38. Rajasthan Asangathit Mazdoor Union (RAMU)
39. Rajasthan Mahila Kamgaar Union (RMKU)
40. Sarvahara Jan Andolan (SJA)
41. Shramik Adhikar Manch (SAM)
42. Trade Union Centre of India (TUCI)
43. Integrated Trade Union Federation (ITUF)
44. United Nurses Association (UNA)

Working Peoples' Charter Network (WPC)
21 December 2020